न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

वाद / प्रार्थना–पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
10/24	53,54,188 RTA	छबड़ा	छबड़ा

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
राजेन्द्र कुमार	बनाम	कजोडी बाई
वकील :– श्री दीपक वर्मा	**आदेश पत्रक**	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
29.01.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,54,188 RTA विरूद्व प्रतिवादीगण के न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 18.3.2024 को पेश हो।	
18.3.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 1.4.24 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	प्र. पत्र वादि [illegible] [illegible] [illegible]
1.4.24	पत्रावली पेश हुई [illegible] [illegible] उत्तर जवाब प्रा० पत्र पेश नहीं हुआ [illegible] चाहते हैं प्रतिवादी जवाब प्रा० पत्र दिनांक 8.4.24 को पेश हो।	
8.4.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 9.4.24 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
9.4.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 15.4.24 को पेश हो। रीडर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	
15.4.24	आज पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 30.4.24 को पेश हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध
30.4.24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाम फरीकैन उप० जवाब प्रा० पत्र पेश करना नहीं चाहते है जवाब प्रा० पत्र बन्द किया जाता है बहस प्रा० पत्र अभिभाषक आम पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश प्रा० पत्र दिनांक 21.5.24 को पेश हो।	
21.5.24	अभिभाषक प्रार्थी (प्रतिवादी) द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते वाद का उपशमन/अबेट किये जाने बाबत इस आशय का पेश किया गया कि उक्त अवाद प्रकरण वादी गण द्वारा दिनांक 29-01-2024 को श्रीमान न्यायालय हाजा मे विरुद्ध प्रतिवादी गण पेश किया गया है उक्त प्रकरण में प्रतिवादी क्र० 5 चमेलीबाई पुत्री भूलचन्द माली निवासी चांचोड़ी दरवाजा वार्ड नं.12 छबड़ा एवं प्रतिवादी क्र० 8 धापाबाई पुत्री भूलचन्द जाति माली निवासी वार्ड नं० 6 माली मोहल्ला कवाई तह० अटरू को पक्षकार बनाया गया है एवं प्रतिवादी क्र० 5 चमेली बाई की मृत्यु दिनांक 8.9.22 को एवं प्रतिवादी क्र० 8 धापाबाई की मृत्यु दिनांक 26.4.14 को हो चुकी है तथा प्रार्थीगण प्रतिवादी क्र० 5 व 8 के कायम मुकामान व उत्तराधिकारी है। वादी गण ने उक्त वाद पत्र मृत व्यक्ति प्रतिवादी क्र० 5 व 8 की मृत्यु हो जाने के बाद पेश किया है जो मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद पेश नहीं करने व निर्णय व डिक्री जारी नहीं करने के नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से चलने योग्य नहीं है वादी गण द्वारा [illegible] वाद मे विवादित आराजी के बटवारा [illegible] किया गया है जो प्रार्थी गण को [illegible] श्रीमान न्याया० हाजा द्वारा प्रदान नहीं [illegible] सकता क्योंकि इनकी चमेलीबाई व धापाबाई विवादित आराजी की संयुक्त खातेदार है एवं प्रार्थी गण इनकी चमेली बाई व धापाबाई के वैधानिक कायम मुकामान होने से उक्त वाद मे आवश्यक पक्षकार है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ

जिनकी अनुपस्थिति में उक्त वाद का समुचित न्याय निर्णय होना संभव नहीं है जहां अभिलेख पर मृतक व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधियों का अभाव वाद के अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध वाद में अग्रसर होना असंभव बना देता है वहां वाद का उपशमन हो जाता है तथा वाद पेश करने से पूर्व वाद के पक्षकारान की मृत्यु हो जाने पर विधिक प्रतिनिधियों को अभिलेख पर लाने के प्रावधान नहीं होने से उक्त वाद का पूर्णतया उपशमन हो गया है एवं उक्त वाद मृत व्यक्ति के विरुद्ध पेश करने से कायम चलने योग्य नहीं है। उक्त अभाव प्रकरण वादी गण द्वारा दिनांक 29.01.2024 को प्रार्थी वादी क्रम 5 मोती बाई व प्रार्थी वादी क्रम 8 पानाबाई की मृत्यु के बाद पेश होने के आधार पर उक्त प्रकरण का उपशमन/अबेट हो गया है तथा इस कारण उक्त वाद निरस्तनीय है प्रार्थी (प्रतिवादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे तथा वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

उक्त प्रार्थना पत्रों का जवाब प्रा० पत्र वकील वादी पेश करना नहीं चाहते उनका जवाब प्रा० पत्र बन्द किया गया तथा दोनों की बहस करने का निवेदन किया गया।

बहस अभिभाषक आदि पक्षकारान सुनी गयी। बहस प्रा० पत्र के दौरान वकील वकील प्रार्थी (अप्रार्थी) का कथन है कि वादी द्वारा प्रार्थी वादी क्रम 5 मोतीबाई व प्रार्थी वादी क्रम 8 पाना बाई के विरुद्ध वाद पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थी वादी क्रम 5 की दिनांक 8.9.22 को एवं प्रार्थी वादी क्रम 8 की मृत्यु दिनांक 26.4.14 को हो चुकी है। वादी द्वारा मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध वाद पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध ~~पेश~~ वाद पेश होने के आधार पर उक्त प्रकरण उपशमन/अबेट हो गया है वादी का वाद खारिज किया जावे। प्रार्थी (प्रतिवादी) अभिभाषक द्वारा नजीर पेश की गयी। dinesh chandra & Anr. vs [illegible] chaudhary & ors - 2018 (3) CJ (CIV) (Raj) 2060 आदेश [illegible] नियम 4 प्रावधान केवल उन मामलों में लागू होता [illegible] जिनमें [illegible] के आस्तित्व में रहने के दौरान अथवा [illegible] एक या एकल प्रत्यर्थी की मृत्यु हो जाती है। [illegible] प्रत्यर्थियों में से किसी एक की मृत्यु वाद दायर किये जाने से पहले हो जाती है तो ऐसे मृतक-प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधियों को संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अन्तर्गत अभिलेख पर नहीं लाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
	का सफल है प्रार्थी (प्रति वादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस प्रा० पत्र के दौरान वकील अप्रार्थी (वादी) का कथन है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे जिन जिन खातेदारान के नाम अंकित थे उनके नाम से दावा पेश किया गया है अप्रार्थी (वादी) को क्या पता कि कौन खातेदार की मृत्यु हो चुकी है यदि किसी खातेदार की मृत्यु हो चुकी है तो प्रार्थी (प्रति वादी) को बताना चाहिये कि उन प्रति वादी की मृत्यु हो गई है। यदि किसी प्रति वादी की मृत्यु हो गई है तो उनके वारिसान को पक्षकार बनाने का प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिये या न्याया० को मृतक की सूचना देनी चाहिये थी प्रार्थी (प्रति वादी) द्वारा जिस प्रकार से दावा एबेट बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है वह चलने योग्य नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रा० पत्र के दौरान वकील प्रार्थी (प्रति वादी) का कथन है कि अभिभाषक वादी द्वारा कहा है कि सह खातेदारान के नाम जमाबन्दी मे अंकित होने के कारण उनको पक्षकार बनाकर दावा पेश किया है मृतक खातेदार का वादी को पता नहीं था तो वादी वकील द्वारा श्रीमान के न्याया० मे इसी त्रुटि को लेकर एक वाद पत्र पेश कर रखा है जो न्याया० मे विचाराधीन है कन्हैयालाल बनाम हीरा वगैरह जिसमे पानाबाई के वारिसान को पक्षकार बनाया गया है यदि वकील वादी को मृतक पानाबाई की मृत्यु का पता नहीं था तो उस वाद पत्र मे पानाबाई के वारिसान को कैसे पक्षकार बना दिया। वादी को सब कुछ पता होने के बावजूद न्याया० को गुमराह कर रहे है न्याया० का समय बर्बाद कर रहे है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे और वादी का वाद खारिज किया जावे।

बहस प्रा० पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रति वादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 15.7.2014 के आधार पर पानाबाई की मृत्यु दिनांक 26.4.2014 को होना अंकित है मृ[illegible] 1.2023 के अनुसार चमेली बाई की मृ[illegible] 9.2023 को होना अंकित है विचा[illegible] वाद प[illegible] अनुसार बनाम कजोडीबाई को न्याया[illegible] को पेश किया गया इससे यह साबित होता है कि मृतक चमेली बाई व मृतक पानाबाई की मृत्यु दावा पेश करने से पहले हो चुकी है नकल वाद पत्र 38/2014 उनवान कन्हैयालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
इसीलिए की न्याया. के दिनांक 29.4.2014 को पेश किया गया है जिसमें मृतक पानाबाई के फौत होने पर उसके नामक वारिसान को पक्षकार बनाया गया है इससे यह जाहिर होता है कि वादी के अभिभाषक को यह पता था की पानाबाई फौत हो चुकी है फिर भी वादी के अभिभाषक द्वारा मृतक पानाबाई के वारिसान को पक्षकार उक्त वाद के बनाकर पेश नहीं किया है वादी द्वारा मृतक व्यक्ति के विरुद्ध वाद पेश किया है अतः प्रार्थी (प्रति वादी) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से एवं अवैध होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.05.23 17:14:27 IST
Reason: SelfAttested